हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा नम्बर– 44/2024
सुआलाल बनाम तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04.10.2024 पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम झाझड़ियों की ढाणी, पटवार हल्का छउ, तहसील गुढा गौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 962/534 रकबा 0.8600 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार है, जो प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुवा पुत्र जगना दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम सुआलाल पुत्र जगना राम था परन्तु प्रार्थी के पिता के देहान्त होने के पश्चात प्रार्थी के हिस्से में दर्ज नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम सुवा पुत्र जगना दर्ज हो गया। जिससे प्रार्थी राजकीय योजनाओं के लाभ से वंचित है। अतः ग्राम झाझड़ियों की ढाणी, पटवार हल्का छउ, तहसील गुढा गौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 962/534 रकबा 0.8600 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम सुवा पुत्र जगना के स्थान पर सुआलाल पुत्र जगना राम दर्ज किया जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार गुढागौड़जी से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार गुढागौड़जी ने पत्रांक भू0अ0/24/1850 दिनांक 22.07.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की कि भूमि खसरा नम्बर 962/534 रकबा 0.8600 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम सुवा पुत्र जगना के स्थान पर सुआलाल पुत्र जगना राम दर्ज किया जाना उचित है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम सुआलाल पुत्र जगना राम दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेजाती तथ्यों एवं न्यायालय मत पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम झाझड़ियों की ढाणी, पटवार हल्का छउ, तहसील गुढा गौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 962/534 रकबा 0.8600 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम सुवा पुत्र जगना के स्थान पर सुआलाल पुत्र जगना राम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 04.10.2024 को सुनाया गया।

04/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner